आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
06.04.2021	वादी के रूप में श्री कमलेश राम, श्री राम सखी मेहता एवं अन्य शिकायतकर्त्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष से कोई भी प्रतिवेदन आयोग को अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। वादी पक्ष कि ओर से बताया गया कि उनके द्वारा दर्ज शिकायत में कम अनाज के संबंध में उनको बकाया अनाज पूरा मिल चुका है। शिकायतकर्त्ता/अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि उनके शिकायत का निबटारा हो चुका है। अतः आगे और कुछ नहीं कहना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त मामले का अंतिम प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। श्री वाल्मीकि कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को निदेश दिया जाता है कि ऑर्डर की कॉपी को आयोग के वेबसाइट पर उचित स्थान पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 6/04/2021 **(उपेन्द्र नारायण उराँव)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हलधर महतो)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	